<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म०प्र०)

1

<u>प्रकरण क्रमांक 31 / 09</u> <u>संस्थित दिनांक —23 / 01 / 09</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर	
जेला बालाघाट म०प्र० 🔨 🏹	अभियोगी
💉 🕢 / विरूद्ध / /	

अशोक सिरसाज वल्द चन्दनलाल सिरसाज उम्र 25 वर्ष नि—कोसमी थाना नवेगांव— जिला बालाघाट म0प्र0

आरोपी

::निर्णय::

<u>[दिनांक 31 / 08 / 2016 को घोषित]</u>

- 1. आरोपी के विरूद्ध धारा 279, 337(दो बार), 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 30/12/08 को समय 10:00 बजे के लगभग चिखलाझोड़ी एवं थाना रूपझर के बीच अपने अधिपत्य के वाहन मेटाडोर 407 कमांक एम0पी050 जी0—0362 को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया व उक्त वाहन को तेजी व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत लक्ष्मण सेवईवार, एवं तिवेन्द्र ढ़ोडरे को साधारण उपहति एवं आहत रमेश घसिया की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।
- प्रकरण में मृतक रमेश की मृत्यु अविवादित तथ्य है।
- 3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी लक्ष्मण पिता परसराम सेवईवार द्वारा थाना रूपझर में सूचना दी गयी कि दिनांक 30.12. 2008 को वह अशोक सिरसाज की मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50 जी0—0362 में सब्जी लेकर जा रहा था। गाड़ी को बाहन मालिक अशोक सिरसाज चला रहा था जो बालाघाट से तेज रफतार से लापरवाही पूर्वक चलाकर ले जा रहा था। गाड़ी चिखलाझोड़ी आगे पहुँची थी कि मेन रोड पर एक भैंस आ जाने से झायवर ने तेज रफतार से लापरवाही पूर्वक गाड़ी को काटा गाड़ी तेज रफतार होने से पलट गयी। गाड़ी के ऊपर बैठा हमाल रमेश घिसया के सिर में चोट आयी है, एवं उसे तथा तिवेन्द्र को चोटें आयी थीं। उक्त घटना की सूचना प्रार्थी लक्ष्मण सेवईवार ब्दारा पुलिस थाना रूपझर में दिये जाने पर आरोपी के

विरूद्ध अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

- 4. विवेचना के कम में आहत लक्ष्मण सेवईवार तथा तिवेन्द्र की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं मृतक रमेश का शव, परीक्षण के लिये भेजा गया। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में धारा—279,337(दो बार),304ए भा.द.वि. के अंतर्गत, अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया।
- 5. न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ धारा 279,337(दो बार),304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए गए। आरोपी द्वारा आरोपित अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा तथा आरोपी का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.सं के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।
- 6. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या आरोपी ने दि.30/12/08 को समय 10:00 बजे के लगभग ग्राम चिखलाझोड़ी एवं रूपझर के बीच थाना अंतर्गत रूपझर में अपने अधिपत्य के वाहन मेटाडोर 407 कं.एम.पी.50 जी–0362 को सार्वजनिक लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी वे उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत लक्ष्मण सेवईवार एवं तिवेन्द्र को साधारण उपहति कारित किया ?
 - (3) क्या आरोपी ने उक्त समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी व उपेक्षापूर्वक चलाकर रमेश की मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

ःसकारण निष्कर्षःः

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2 तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. घटना के आहत लक्षमण (अ.सा.2) का कथन है कि घटना आज से दो वर्ष पूर्व चिखलाझोड़ी रूपझर की है जब वह लोग 407 मेटाडोर में बैठकर लांजी आ रहे थे। सामने अचानक भैंस आ जाने के कारण आरोपी ने ब्रेक मारा जिससे गाड़ी पलट गयी थी। गाड़ी सामान्य स्पीड में चल रही थी। मेटाडोर के पिछले हिस्से में बैठा रमेश हमाल गाड़ी पलटने से बेहोश हो गया था। उसके सिर में चोट आयी थी जिससे खून निकल रहा था। उसे बाद में फोन में पता चला कि रमेश मर गया है। घटना की पुष्टि अन्य आहत तिवेन्द्र (अ.सा.3) ने की जिसके अनुसार रूपझर के पहले रोड़ पर सामने भैंस आ गयी थी जिसे बचाने के लिये गाड़ी चालक अभियुक्त अशोक ने ब्रेक मारा और गाड़ी पलट गयी। पलटने से एक हमाल की मोत हो गयी थी तथा उसके पैर में चोट आयी थी गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। पुलिसवालों ने मृतक हमाल का नक्शा पंचनामा प्र.पी.2 उसके समक्ष बनाया था। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 8. नक्शा पंचनामा के अनुसार घटना के अन्य साक्षी श्यामिसंह (अ०सा०5), शेरू(अ०सा०4), रिव (अ०सा०6) ने की है। उक्त साक्षियों ने नक्शा पंचनामा प्र.पी.2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। शेरू (अ०सा०4) के अनुसार रमेश की मृत्यु जॉच में उपस्थित होने की सूचना प्र.पी.4 पुलिस द्वारा दी गयी थी। तथा रमेश का शव को सुपुर्दगीनाम प्र.पी.5 पर लिया गया था। उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिव (अ०सा०6) तथा लखनलाल (अ०सा०7) ने मृतक रमेश का पंचनामा प्र.पी.4 की पुष्टि की है।
- 9. डां. डी.सी. धुर्वे (अ०सा०८) के अनुसार दिनांक 30.12.200८ को जिला चिकित्सालय बालाघाट में पद स्थापना के दौरान उनके द्वारा थाना रूपझर से लाये जाने पर तिवेन्द्र तथा लक्ष्मण का परीक्षण किया गया था। आहत तिवेन्द्र के शरीर पर दो चोटें जिसके दाहिने घुटने तथा दाहिने जॉघ पर थी पायी गयी थीं। जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.6 है। लक्षण के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये थे जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.7 है। उक्त साक्षियों के अनुसार आहत तिवेन्द्र की चोटें कड़ी बोथरी वस्तु से आना संभावित थीं।
- 10. मृतक रमेश के शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 जोकि घटना दिनांक 30.12.08 के तीन बजे की गयी थी, के अनुसार रमेश की मृत्यु शरीर की चोटों से मिस्तिष्क के भीतर रक्त स्त्राव होने की वजह से कोमा के कारण हुई थी। के.पी.मिश्रा(अ0सा09) के अनुसार घटना दिनांक को थाना रूपझर में पद स्थापना के दौरान प्रार्थी लक्षमण सेवईवार की सूचना पर उसके द्वारा अपराध कमांक 21/08 धारा 279,337 तथा मो0यान अधिनयम की धारा 184 के अंतर्गत मेटाडोर 407 कमांक एम.पी.50 जी. 0365 के चालक आरोपी अशोक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.8 लेखबद्ध कर प्रार्थी की निशादेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.9 तैयार किया था, उक्त दस्तावेजों के ए से एभाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। घटना दिनांक

को ही प्रार्थी लक्षमण तथा साक्षीगण तिवेन्द्र, मेजरसिंह, सुरेशचंद के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उक्त दिनांक को ही आरोपी अशोक से गवाहों के समक्ष उक्त मेटाडोर 407 क्षतिग्रस्त हालत में मय कागजात जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.1 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसे उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.3 तैया किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती शुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कर विवेचना उपंरात चलान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जप्ती के अन्य साक्षी सुरेश चंद (अ0सा01) ने जप्ती से इंकार किया किया है परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.1 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।

- 11. उक्त समस्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आरोपी चालक की मेटाडोर 407 क्रमांक एम.पी.50 जी. 0362 से हुई घटना उस पर सवार रमेश की मृत्यु तथा तिवेन्द्र को चोटें आयी थीं। परंतु उक्त दुर्घटना अभियुक्त की गलती से हुई थी ऐसी कोई भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। घटना के आहत तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी लक्ष्मण (अ0सा02), तथा तिवेन्द्र (अ0सा03) ने गाड़ी के सामान्य गति से चलने तथा रोड़ पर अचानक भेंस के आ जाने के कारण गाड़ी पलटने के कथन किये हैं। दोनों साक्षियों ने दुर्घटना में आरोपी की किसी गलती अथवा लापरवाही से स्पष्ट इंकार किया है।
- उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में 12. अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्व ारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय मेटाडोर वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अभियोजन का समर्थन अन्य किसी भी साक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है। किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलिब्ध नहीं है। जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा पूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से पलटाकर लक्षण तथा तिवेन्द्र को साधारण उपहति तथा रमेश की मृत्यु कारित

की।

- 13. अतः अभियुक्त अशोक को भा दं०सं० की धारा 279, 337(दो बार), 304ए के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 14. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 15. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मेटाडोर 407 क्रमांक एम0पी050,जी0–0362 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 16. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

WIND STATE OF STATE O

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)